न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **गितेश श्री मालवीय,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 30/2022 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 21.01.2022
G.C.M.S. NO. :- 2022/30

छगनलाल पिता मोती जी जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी जाखड़खेड़ा, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलांट

बनाम

1–पटवारी, पटवार हल्का रोलिया, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 बनाराजगी निर्णय दिनांक 22.11.2021 न्यायालय तहसीलदार कपासन, प्रकरण संख्या 90/2021

उपस्थितिः–1– श्री चन्दनमल जणवा, अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 10.02.2023

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवार हल्का रोलिया के द्वारा अवैध अतिक्रमण के संबंध में की गई रिपोर्ट के आधार पर ग्राम जाखड़खेड़ा की आराजी नम्बर 16 पर अपीलांट का अतिक्रमण मानते हुए अपीलांट के विरूद्ध दिनांक 09.11.2021 को प्रकरण दर्ज करते हुए दिनांक 22.11.2021 को अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिए भूमि से बेदखल करने, लगान 15.00 रू. का पचास गुणा 750 रूपये अर्थदण्ड तथा तीन

माह के सिविल कारावास से दण्डित करने के आदेश पारित किये जो अपने आप में अवैधानिक होकर अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार, कपासन से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोडेन्टगण की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि तहसील कपासन के ग्राम जाखड़खेड़ा की बिलानाम आराजी नम्बर 16 रकबा 0.78 हैक्टेयर भूमि पर अपीलांट का अनाधिकृत कब्जा मानकर अपीलांट के विरूद्ध बेदखली एवं लगान 15 रूपये का पचास गुणा 750 रूपये का जुर्माना एवं तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित करने का आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त विवादित आदेश पूर्णतः विधि-विरूद्ध होकर प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है क्योंकि अपीलांट ग्रम जाखड़खेड़ा की बिलानाम आराजी नम्बर 16 पर करीब 35-36 सालों से काबिज होकर काश्त कर रहा है व उक्त भूमि के नियमन हेतु कई बार सक्षम अधिकारियों के समक्ष आवेदन भी प्रस्तुत किए हैं। उपखण्ड अधिकारी, कपासन द्वारा तहसीलदार, कपासन से सभी आवंटन नियमों के संबंध में बिन्दुवार रिपोर्ट व अनुशंषा मांगी गई किन्तु उक्त कार्यवाही के विचाराधीन होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने सिद्धान्तों के विपरीत जाकर उक्त विवादित आदेश पारित किया है। उक्त कृषि भूमि के अलावा अपीलांट के पास भरण-पोषण का कोई अन्य साधन नहीं है। अपीलांट द्वरा जमीन को काफी अंग मेहनत करके तथा लागत लगाकर कृषि योग्य बनाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए बगैर प्रथम तारीख पेशी पर ही उक्त विवादित आदेश पारित कर दिया है जबकि अपीलांट प्रथम पेशी दिनांक 22.11.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा उक्त दिनांक को अपीलांट के अधिवक्ता के बाहर होने से नोटिस का जवाब देने हेतु अवसर चाहा जिस पर अपीलांट को दिनांक 20.12.2021 की तारीख पेशी दी गई जिस पर विहित तारीख 20.12.2021 को अपीलांट अन्य आवश्यक कार्य में व्यस्त होने से अपीलांट की पुत्री को अपीलांट के अधिवक्ता के साथ भेजा जहां अधीनस्थ

न्यायालय ने अपीलांट को सुने बगेर पुत्री चन्दा से दिनांक 16.12.2021 का नोटिस तैयार कर दिनांक 20.12.2021 को तामील के हस्ताक्षर ले लिए जिसकी जानकारी अपीलांट के अधिवक्ता ने जरिये फोन से दी जिससे अपीलांट ने दिनांक 20.12.2021 को आनन-फानन में न्यायालय पहुंचकर जवाब प्रस्तुत कर दिया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के जवाब को नजर अन्दाज करते हुए राजनैतिक दबाव में आकर विधि व सिद्धान्तों से परे जाकर दिनांक 22.11.2021 को ही पत्रावली बैक डेट मे फैसल कर दी गई जो कि विधि व न्याय के विपरीत है। इस प्रकार अपीलांट को न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिए विवादित आदेश पारित किया जो कि निरस्त योग्य है उक्त आदेश 22.11.2021 की अपीलांट को नकल दिनांक 12.01.2022 को प्राप्त हुई जिस पर बिना किसी देरी के अपील तैयार करा पेश है फिर भी मियाद को लेकर कोई विवाद नहीं रहे इसलिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र साथ मे पेश है। अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22.11.2021 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि राजकीय बिलानाम भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली एवं शास्ति आरोपित करने तथा पश्चात्वर्ती कब्जे के आधार पर सिविल कारावास से दण्डित करने का पारित आदेश विधि सम्मत् है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र के मद्देनजर विलम्ब के संबंध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाना न्यायोचित समझते हैं। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

प्र. सं. 30/2022 (रा. अ.)
छगनलाल पिता मोती जी जाट निवासी जाखड़खेड़ा तहसील कपासन बनाम पटवारी, पटवार हल्का रोलिया, तहसील कपासन वगैरा

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका दिनांक 09.11.2021 को अपीलांट को धारा 91 का नोटिस जारी कर वास्ते सुनवाई हेतु प्रथम तारीख पेशी दिनांक 22.11.2021 को उपस्थित होने बाबत निर्देशित किया है तथा प्रथम आदेशिका दिनांक 22.11.2021 में अपीलांट द्वारा अतिक्रमण करना स्वीकार होना बताते हुए अपीलांट को बेदखली व तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित करने का आदेश पारित करना स्पष्ट प्रतिवेदित है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत् सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा न ही उसे जवाब व साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है जो कि अनुचित है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है।

यहां हम यह उल्लेख करना चाहेंगे कि कोई भी निर्णय पारित किये जाने से पूर्व पक्षकारों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत् सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना नहीं पाया जाता है जो कि नैसर्गिग न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

निष्कर्षतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22.11.2021 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य, सबूत पेश करने तथा विधिवत् सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर नए सिरे से विधि-सम्मत् निर्णय पारित करें।

''निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।''

(गितेश श्री मालवीय)